

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) शिक्षा विभाग, नागौर

कार्यालय-आदेश

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 एव कार्मिक (क-2)/क-2/15/पार्ट जयपुर दिनांक 22.05.17 एवं श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/ बी-1/2856/ आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक 22.02.18, दिनांक 25.02.18 एवं दिनांक 28.02.18 की पालना में चयनित कनिष्ठ सहायको को निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय आवंटन करने के फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 05 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6)एफडी(नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14600/- प्रतिमाह अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेन्शन योजनान्तर्गत होगी।

उक्त नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-II संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2013 में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर बनाम अनिल कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किये जाने के उपरान्त तथा आवंटित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में डी.बी. अपील सं 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलो के अंतिम निर्णय के अध्याधीन तथा एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466 /2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्याधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे।

- 1 इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधान अनुसार रहेगी।
- 2 उनके आवेदन पत्र इनकी निजी पत्रावली में सुरक्षित रखे जावे।
- 3 इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलाने कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगे, कोई भिन्नता/सन्देह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे।
- 4 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त की जावे, परन्तु चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर आचरण की जांच का इंतजार नहीं किया जावे अभ्यर्थी से सदाचरण संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण करवाया जावे। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी तथा उसके विरुद्ध अपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल-ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखे। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 5 अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक (क-2) विभाग कि अधिसूचना दिनांक 24.02.11 एव दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावे। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
- 6 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता जांच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली, अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

- 8 अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो की अपवर्जनकाक नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हो तो उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
- 9 अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति के नाम पर एवं पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपने पिता के आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही आवेदक को कार्यग्रहण करवाने की कार्यवाही करे। ऐसा नहीं करने पर उसका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
- 10 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- 11 इनके कार्यग्रहण की सूचना संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को आवश्यक रूप से देवे। साथ ही शाला दर्पण पर यथाशीघ्र इन्द्राज करे।
- 12 यह नियुक्तिया चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी।
- 13 सलग्न सूची में अंकित क्र0सं01 (हरजू फरड़ोदा) क्र0सं02 (शारदा महिया), क्र0सं03 (ओम शर्मा) क्र0सं05 (मंजू चौधरी), क्र0सं06 (रमेशचन्द्र ढकरवाल) क्र0सं07 (राजेन्द्रसिंह), क्र0सं08 (राजेश लामरोड) क्र0सं011 (जितेन्द्र जाजड़ा), क्र0सं012 (घनश्याम), क्र0सं013 (भागीरथ), क्र0सं014 (गोरधनराम), क्र0सं015 (बनवारीलाल), क्र0सं016 (मुकेश बागोटिया) को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस कार्यालय में मूल दस्तावेजों सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावे तथा दस्तावेज जांच का इस कार्यालय द्वारा जांच करवाने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त कार्यग्रहण करावे।

सलग्न:- सूची उपरोक्तानुसार

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जायेगी।



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर
दिनांक- 09.03.2018

क्रमांक:- जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/नियुक्ति/कनिष्ठ सहा.-2013/2018/337

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
- 2 श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3 श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
- 4 श्रीमान् उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल अजमेर।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, नागौर।
- 6 सम्बन्धित संस्थाप्रधान.....।
- 7 सम्बन्धित आशार्थीको रजिस्टर्ड डाक से उनके पते पर।
- 8 रक्षित पत्रावली।



जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम नागौर

क्रमांक:- जिशिअ/माप्र/ना/संस्था-1/नियुक्ति/कनिष्ठ सहा.-2013/2018/337

दिनांक- 09.03.2018

लिपिक ग्रेड द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) पदस्थापन/नियुक्ति हेतु निदेशालय माध्यमिक राज बीकानेर में आयोजित काउंसिलिंग में उपस्थित/अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के पदस्थापन वरियता सूची

क्र०सं०	वरियता क्रमांक	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	आवेदित वर्ग	पिता का नाम	पता	आवेदन में उल्लेखित गृह जिला	पदस्थापन स्थान(रामावि/राबामावि/राउमावि०/राबाउमावि०)
1/208	89	2897	304373	HARJU FARDODA	02-11-92	BC,WE	PANNARAM	PURAKIDHANI BHADWA POST. BADU	NAGOUR	GHSS ALNIYAWAS RINYA
2/209	104	3532	879223	SHARDA MAHIYA	07-07-94	BC,WE	HIMMTARAM	VILL. SANGOOBARI	NAGOUR	GSSS SHERANIABAD DEEDWANA
3/210	293	5097	737032	OM SHARMA	10-12-95	GE, WE	BHAGWANA RAM	VILL SINWA	NAGOUR	GHSS KURCHHI KHINWSAR
4/211	300	5108	308274	MANJU DEVI DHAYAL	25-08-94	BC,WE	PEMARAM JAT	VILLAGE. SURAJGARH, POST. BIJATHAL, VIA RIYANBADI, THEHSIL DEGANA DISSTT. NAGOUR	NAGOUR	GSSS ALAKHPURA MOLASAR
5/212	417	5390	814621	MANJU CHAUDHARY	10-06-92	BC,WE	POKHAR RAM	VILL.POST. TODAS VIA KUKANWALI	NAGOUR	SHAHEED MULARAM GOVT. SR. SECONDARY SCHOOL KATHOTI JAYAL
6/213	636	389	247550	RAMESH CHAND DHAKARWAL	01-03-94	BC	SHRI RAM DHAKARWAL	VILL. SIRSI, POST LUNWA,	NAGOUR	GAHSS CHAWANDIYA KHINWSAR
7/214	703	1791	751344	RAJENDRA SINGH	12-09-91	BC	BHANWAR LAL	VILL. MIDIYAN VIA DEGANA	NAGOUR	GSSS ODINT LADNUN
8/215	755	2346	651825	RAJESH LAMROR	09-04-94	BC	RAMAKISHAN	VILL.PALIYAS	NAGOUR	GHSS BARANGANA DEEDWANA
9/216	804	2798	747020	MANOJ BENIWAL	20-03-90	BC	GOVIND RAM BENIWAL	NEAR KISHAN HOSTEL BAKHATSAGAR NAGOUR	NAGOUR	GOVT ADARSH SEN.SEC. SCHOOL BUGARDA JAYAL
10/217	934	3589	748962	SAITAN RAM	01-08-94	SC	BHIKARAM	1/349 HOUSING BOARD COLONY	NAGOUR	GOVT SEN.SEC. SCHOOL SUPKA DEEDWANA
11/218	983	3821	659860	JITENDRA JAJRA	11-07-94	BC	RAMESHWAR LAL	137 KARNI NAGAR OPP. SEERVI HOSTEL BASNI STPHASE JODHPUR	NAGOUR	GSSS MANDAL JODHA DEGANA
12/219	1098	4332	756393	GHAN SHYAM	15-07-94	SC	KESHA RAM	VPO ROHINA	NAGOUR	SHRI JAIRAM GEETADEVI BENIWAL GSSS. PANCHALA SIDHA KHINWSAR (NAGOUR)
13/220	1105	4368	753539	BHAGIRATH	15-06-94	SC	CHUNARAM	VPO SANIYAN, VIA-KHUNKHUNA	NAGOUR	GOVT SEN.SEC. SCHOOL CHUI DEGANA
14/221	1247	5060	761423	GORDHAN RAM	05-07-91	SC	KESHA RAM	VPO ROHINA	NAGOUR	GSSS TANWARA LADNUN
15/222	1264	5105	749613	BANWARI LAL	11-02-92	SC	BANSILAL	SHIV BASTI KALANADA	NAGOUR	GOVT SEN.SEC. SCHOOL PHOGARI MOLASAR
16/223	1629	5861	760407	MUKESH BAGOTIA	16-11-90	SC	BHANWAR LAL BAGOTIA	ATHUNI BASI KA BAS	NAGOUR	GHSS KHATORA KHINWSAR

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक प्रथम) नागौर